

पूजा वाद में अंतिम शिर्षी

(आदेश 20 के नियम 06 और 07)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियों

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम उपखण्ड अधिकारी ओसियों

पीठासीन अधिकारी :- रतनलाल रेगर (आर ए एस)

राजस्थान वाद सख्या 94/2018

वादीगण :-

1. विजाराम पुत्र श्री कानाराग सग्रम 49 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियों जिला जोधपुर।
2. सोंगाराम पुत्र श्री नानकराम
3. प्रतापराम पुत्र श्री नानकराम
4. हेमाराम पुत्र श्री नानकराम सभी जाति जाट निवासी ग्राम भाखरो की ढाणी थोब तहसील ओसियों जिला जोधपुर।

बनाग

प्रतिवादीगण :-

1. रामेश्वर पुत्र श्री प्रताप
2. हंसराज पुत्र श्री सोनाराम
3. भवंरलाल पुत्र श्री हंसराज वली हंसराज पुत्र श्री सोनाराम
4. लिखमाराम पुत्र श्री मगाराम
5. पपूराम पुत्र श्री मगाराम
6. भोमाराम पुत्र श्री बावुराम
7. श्रवण पुत्र श्री बावुराम सभी जाति दर्जी निवासी ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियों जिला जोधपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियों जिला जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 88 188 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 27.7.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी प्रतिवादीगण सख्या 4 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खीचड प्रतिवादीगण सख्या 01 से 03 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निर्णय दिनांक 02.09.2019 की पालना में तहसीलदार ओसियों की ओर से विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उभय पक्षकारान के हिससे का विभाजन किया जावे

सहायक कलेक्टर, ओसियों

वादीगण सख्या 01 के हिस्से में भूमि :-

ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 164 रकबा 05 बीघा 02 विशवा, 10 विशवांसी भूमि रखी जाती है।

वादीगण सख्या 02 से 04 के हिस्से में भूमि :-

ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 164 रकबा 15 बीघा 08 विशवा, भूमि रखी जाती है।

प्रतिवादीगण सख्या 04 से 07 के हिस्से में भूमि :-

ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 164 रकबा 15 बीघा 09 विशवा, भूमि रखी जाती है।

प्रतिवादीगण सख्या 01 से 03 के हिस्से में भूमि :-


ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 164 रकबा 10 बीघा 05 विशवा, 10 विशवांसी भूमि रखी जाती है।

वादीगण व प्रतिवादीगण की राशुक्त रास्ते बाबत भूमि :-

ग्राम बारा खुर्द के खसरा सख्या 164 रकबा 0.18 बीघा, भूमि रखी जाती है।

विभाजन प्रस्ताव के साथ सलग्न नजरी नक्शा के अनुसार नक्शा टेस में विभाजन किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ सलग्न नजरी नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावे।

यह आज तारीख 27.7.20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी जाती है।


सहायक कलेक्टर एचएम
रापखण्ड अधिकारी जोसियाँ

वादी के खर्चे	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वादी के लिए स्टाम्प अर्जी पत्र के लिए स्टाम्प नजरी के लिए स्टाम्प नजरी के प्लेडर की फीस नजरी के लिए निर्याह व्यय नजरी के फीस नजरी के तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्याह व्यय जादेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
	जोड़		जोड़